उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

आदेश

कन्फिस्केशन वाद संख्या– 31/2020

राज्य बनाम राजु कुमार।

05/01/2024

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार अधोहस्ताक्षरी आदेश पत्रांक–425/एम0 कोडरमा दिनांक 13.06.2020 के आलोक में दिनांक 26.06.2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा की अध्यक्षता में गठित समिति जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा, राज्य कर उपायुक्त, कोडरमा अंचल, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), कोडरमा, सहायक वन संरक्षक, प्रादेशिक वन प्रमंडल, कोडरमा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, गझंडी वन प्रक्षेत्र, कोडरमा, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, कोडरमा एवं थाना प्रभारी, चन्दवारा द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत चन्दवारा अंचल के टोला मझलाडीह, थाना–चन्दवारा में स्थित माईका (अभ्रक) खनिज के फैक्ट्री/गोदाम का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोंपरान्त उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि स्थल पर श्री राजु कुमार, पिता–श्री कृष्णा वर्णवाल, पता–तिलैया ब्लॉक रोड, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा उपस्थित पाये गये, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त गोदाम मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में गोदाम में माईका लगभग 75 टन एवं 400 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा), माईका फ्लैक्स 156 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा), माईका फ्लैक्स पाया गया। माईका फ्लैक्स लगभग 05 टन बिखरा हुआ है तथा ट्रक संख्या–JH02F-0572 एवं उसपर लदा लगभग 08 टन माईका फ्लैक्स पाया गया। भंडारित खनिज के संबंध में श्री राजु कुमार द्वारा खनिज की वैधता के संबंध में कागजात तथा भंडारण अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अन्य कागजात प्रस्तुत किया गया। Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (i) के अनुसार गोदाम में भंडारित खनिज एवं ट्रक संख्या–JH02F0572 एवं उसपर लदा लगभग 08 टन माईका फ्लैक्स को जब्त किया गया। स्थल पर भंडारित खनिज को जब्त कर लाना संभव नहीं होने के कारण उक्त खनिज को Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (iv) के अनुसारः–

वहीं जब्ति सूचि बनाकर श्री राजु कुमार, पिता–श्री कुष्णा वर्णवाल, पता–तिलैया ब्लॉक रोड, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा को सुरक्षा हेतु जिम्मा दिया गया एवं उक्त माईका (अभ्रक) गोदाम को सील कर दिया गया। साथ ही जब्त ट्रक संख्या–JH02F-0572 एवं उसपर लदा लगभग 08 टन माईका फ्लैक्स को थाना प्रभारी, चन्दवारा को सुरक्षार्थ सुपूर्द किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार उनके कार्यालय अभिलेख में श्री राजु कुमार, पिता–श्री कृष्णा कुमार, पता–तिलैया ब्लॉक रोड, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा को विभाग/जिला खनन् कार्यालय, कोडरमा द्वारा खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है।

Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (v) के आलोक में राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी राजु कुमार के द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जो निम्न प्रकार है :–

That the present Confiscation Case has been initiated at the instance of District Mining Officer, Koderma under Rule 11(V) of Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 whereby the Court of Deputy Commissioner, Koderma has been pleased to issue show cause as to why the Mica Flakes under storage at the premises of the Respondent and the Truck No-JH-02F/0572 along with loaded Mica Flakes approximately 8 tonnes be not confiscated.

That the Respondent is shocked and surprised at the intiation of confiscation proceeding by the District Mining Officer, Koderma under Rule 11(V) of the Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 as because

seizure under Rule 11(iv) of the said Rule has to precede first before any confiscation petition could be filed before the court of Deputy Commissioner.

That in the present matter, there has been no seizure at all by the District Mining Officer, Koderma under Rule 11(iv) of the Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rules 2017 as because the seizure list does not bear the signature of any competent officer under the said Rules.

That the fact of the matter is that a seizure list was prepared on 26.06.2020 initially but when the Respondent submitted necessary document and explained the legal position under Bihar Mica Act, 1947 and Rules made thereunder, the District Mining Officer, Koderma did not go ahead with the seizure and hence did not finally sign the seizure list at the premises.

That no confiscation proceeding could be initiated in the absence of a valid seizure list which is absent in the present matter.

राज्य की ओर से जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थिति होकर विषांकित वाद में अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोडरमा जिला अन्तर्गत माईका खनिज का खनन पट्टा नहीं है। माईका एक लघु खनिज है। विपक्षी के पास Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के आलोक में खनिज के कारोबार करने हेतु आवश्यक स्टॉक लाईसेन्स नही है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा भण्डारित खनिज के राज्यसात नहीं किये जाने के संबंध में तथा जब्त भण्डारित खनिज के संबंध में पर्याप्त वैध साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्ष के सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री राजु कुमार, पिता–श्री कृष्णा कुमार, पता–तिलैया ब्लॉक रोड, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 का उल्लंघन कर माईका का भण्डारण किया जा रहा था।

अतः Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (v) के आलोक में सभी भण्डारित खनिज को राज्यसात करने का आदेश जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा को दिया जाता है। राज्यसात किये गये भण्डारित खनिज की निलामी हेतु जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा पूर्व में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा राज्यसात किये गए खनिज का JSMDCL के माध्यम से निलामी करानें के दिशा–निर्देश/निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करेंगे। चंदवारा अंचल के टोला मंझलाडीह स्थित माईका (अभ्रक) खनिज के फैक्ट्री/गोदाम परिसर, जो सील किया गया है को खोलने का निदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विपक्षी माईका का कारोबार करने हेतु आवश्यक सभी प्रकार के लाईसेन्स/अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करने के उपरांत हीं वहां पर कारोबार करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा अपने टीम के साथ परिसर को सीलमुक्त करने वक्त पूर्व में जिम्मेनामे पर दिये गए भंडार का जॉच कर JSMDCL के द्वारा निलामी होने तक जब्त स्टॉक सुरक्षित रहे इस हेतु आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

5.1.21

उपायुक्त, कोडरमा।

5.1.21

उपायुक्त
कोडरमा।